न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–12/2021

उनवान

1. सवाई सिंह पुत्र माला जाति रावत निवासी बुबानिया हाल निवासी नियर आदर्श नगर रेलवे स्टेशन कॉलोनी अजमेर

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :–   दिनांक :– 31.5.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की कयशुदा खातेदारी आराजी ग्राम धोलादांता बुबानिया में स्थित है जिसका आधार जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
223/202	297	0.24	नहरी–2

वादग्रस्त आराजियात के आधार जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सवाई सिंह पुत्र भाला दर्ज है जबकि वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम माला है। जिसे राजस्व अधिकारियों की गलती से हाल रेकॉर्ड में भाला दर्ज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की कयशुदा कृषि भूमि है जो दिनांक 7.6.1999 को करमा वल्द कालू जाति रावत निवासी धोलादांता बुबानिया से क्रय की गई थी। उक्त पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 10.8.1999 के आधार पर बेचाननामा से प्रार्थी सवाई सिंह वल्द माला के नाम दर्ज हुई। वर्किंग जमाबन्दी सम्वत् 2041–44 के खाता संख्या 13 में विकेता करमा पुत्र कालू के स्थान पर प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज हुई। विकय पत्र, नामान्तकरण, वर्किंग राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम माला दर्ज है जो सही है। अतः भाला के स्थान पर माला अंकन किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में जाहिर किया है कि प्रार्थी [illegible] है।

अधिवता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विकय पत्र की प्रति, मिलान [illegible]ल, वर्किंग एवं हाल जमाबन्दी, नामान्तकरण की प्रति दस्तावेज प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राज0 पेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1999 की प्रति पेश की गई। विक्रय पत्र में केता सवाई सिंह वल्द माला जाति रावत निवासी धोलादांता बुबानिया दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 10.8.1999 में केता सवाई सिंह वल्द माला जाति रावत निवासी धोलादांता दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी में भी केता का नाम सवाई सिंह वल्द माला कौम रावत दर्ज है। हाल जमाबन्दी संवत् 2071–74 में केता का नाम सवाई सिंह पुत्र भाला जाति रावत अंकित है। राज0 पेरोकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता नाम द्वारा तत्समय विक्रित भूमि के राजस्व रेकॉर्ड विक्रय पत्र, नामान्तकरण, वर्किंग जमाबन्दी में माला अंकित था। किन्तु हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम भाला दर्ज किया गया। वर्किंग जमाबन्दी अनुसार हाल जमाबन्दी में सवाई सिंह वल्द माला दर्ज करना था। हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया जो दुरूस्ती योग्य है। उक्त त्रुटि सदभाविक है जिसके दुरूस्त करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः ग्राम धोलादांता बुबानिया के खाता संख्या 223/202 खसरा नम्बर 297 रकबा 0.24 हैक्टर की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर सवाई सिंह पुत्र भाला के स्थान पर सवाई सिंह पुत्र माला अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:38:22 IST
Reason: SelfAttested